छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 82/2008

1. मो0 अनीश अंसारी, – *अपीलार्थी*
अधिवक्ता, मौहार पारा, मस्जिद के पास,
वार्ड नंबर–08, मनेन्द्रगढ़,
जिला–कोरिया (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय नगर पालिका परिषद,
मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 28 अप्रैल, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी मो0 अनीश अंसारी द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 16.10.2007 को जन सूचना अधिकारी, कार्यालय नगरपालिका परिषद, मनेन्द्रगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर निर्धारित समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा दिनांक 20.11.2007 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु उक्त अपील का भी समयावधि में निराकरण नहीं होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 14.01.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवर प्रदान कर उनके तर्कों का श्रवण किया गया । प्रकरण में श्री साहू, उपयंत्री, तत्कालीन जन सूचना अधिकारी, कार्यालय नगर पालिका परिषद, मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया को विलंब के लिए दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । अपीलार्थी ने दिनांक 15. 11.2007 को जानकारी प्राप्त करने के लिए राशि 2960/– रूपये शुल्क के रूप में प्रति अपीलार्थी के पास जमा किया जाना बताया गया तथा प्रति अपीलार्थी द्वारा दी गई पावती की छायाप्रति भी प्रस्तुत की है, किन्तु प्रति अपीलार्थी द्वारा उक्त पावती को फर्जी बताया गया तथा यह भी बताया कि प्रति–अपीलार्थी द्वारा शुल्क जमा नहीं कराया गया है । प्रकरण में आदेश दिनांक 26.09.2008 द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मनेन्द्रगढ़ को उक्त पावती के संबंध में जॉच प्रतिवेदन भेजने हेतु निर्देशित किया गया था, उक्त निर्देश के पालन में उनके द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में शुल्क की राशि 2960/– रूपये की उक्त पावती को फर्जी बताया

गया तथा लेख किया है कि उनके कार्यालय द्वारा सूचना के अधिकार के तहत् प्राप्त आवेदनों पर जानकारी प्रदान करने हेतु शुल्क लिये जाने पर नियमानुसार रसीद दी जाती है । उभय पक्ष ने पावती के संबंध में अपने–अपने पक्ष के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किये, परन्तु उभय पक्ष मूल

पावती प्रस्तुत करने में असफल रहे । अतः अपीलार्थी द्वारा शुल्क की राशि 2960/- रूपये प्रति अपीलार्थी को दिया जाना प्रमाणित नहीं होता है ।

3/ प्रकरण में अपीलार्थी को अत्यधिक विलंब से जानकारी प्रदान की गई है तथा प्रदाय की गई जानकारी भी अपूर्ण बताई गई है, अतः प्रति अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र की कंडिका-09 तथा 13 में चाही गई जानकारी एक सप्ताह के अन्दर निःशुल्क प्रदान की जावे । प्रकरण में जारी कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने के कारण तथा जानकारी देने में हुये विलंब के लिए प्रस्तावित शास्ति राशि 10000/- रूपये अधिनियम की धारा-20(1) के अन्तर्गत श्री चन्द्रशेखर साहू, उपयंत्री, जन सूचना अधिकारी, कार्यालय नगर पालिका परिषद, मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया पर आरोपित की जाती है । साथ ही विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से अपीलार्थी को राशि 300/- रूपये प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं । यदि श्री चन्द्रशेखर साहू द्वारा एक माह के अन्दर शास्ति की राशि जमा नहीं कराई जाती है तो उनके वेतन से काटकर उक्त राशि जमा करने के निर्देश मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया को दिये जाते हैं तथा इस संबंध में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन आयोग को भिजवाया जाना भी सुनिश्चित किया जावे । साथ ही जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों का निर्वहन समुचित रूप से किया जावे ।

4/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील प्रकरण स्वीकार किया जाता है ।

(अनिल जोशी)
राज्य सूचना आयुक्त